

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/3572
दिनांक : 16 फरवरी, 2009

सचिव,
सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेज,
हापुड, गाजियाबाद।

महोदय,

उपसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या- सम्ब0- 3011/ 71- 3- 07-एन-107/06, दिनांक 04.11.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेज, हापुड, गाजियाबाद को स्नातक स्तर पर चिकित्सा संकाय के अन्तर्गत एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2008 से शैक्षिक सत्र 2008-2009 हेतु एक वर्ष के लिए अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. संस्था निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित समस्त कमियों एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-यू-12012 / 506 / 2007-एम0ई0-(पी-2) दिनांक 15.07.2008 में वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा तथा कार्यपरिषद की स्वीकृत प्राप्त कर लेंगे।
2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालिज में प्रवेश के माध्यम/ विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एम0सी0आई0 रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली / अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

माननीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसेज, हापुड, गाजियाबाद को एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2008 से आगामी एक वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव



सचिव,

सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज,
हापुड़ (गाजियाबाद)

पत्रांक : सम्बद्धता/319
दिनांक : 22/2/2010

महोदय,

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-5375/71-3-09-एन-107/06, दिनांक 16.12.2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) के अधीन सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हापुड़, गाजियाबाद को स्नातक स्तर पर चिकित्सा संकाय के अन्तर्गत एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2009 से शैक्षिक सत्र 2009-2010 हेतु एक वर्ष के लिए अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. संस्था निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित समस्त कमियों एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-यू-12012/506/2007-एम0ई0-(पी-2) दिनांक 13.07.2009 में वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा तथा कार्यपरिषद की स्वीकृत प्राप्त कर लेंगे
2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालिज में प्रवेश के माध्यम/ विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एम0सी0आई0 रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

माननीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हापुड़, गाजियाबाद को स्नातक स्तर पर चिकित्सा संकाय के अन्तर्गत एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2009 से शैक्षिक सत्र 2009-2010 हेतु एक वर्ष के लिए अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेगे।

भवदीय,

[Signature]

कुलसचिव

[Signature]

प्रतिलिपि :-

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।



सचिव,
सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज,
एन०एच०-24, अनवरपुर, पिलखुवा, हापुड
गाजियाबाद

पत्रांक : सम्बद्धता/29
दिनांक : 2.11.2010

महोदय,

विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-2807(1)/71-3-10-एन-107 /06, दिनांक 23.09.2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) के अधीन सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एन०एच०-24, अनवरपुर, पिलखुवा, हापुड गाजियाबाद को स्नातक स्तर पर चिकित्सा संकाय के अंतर्गत स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ शैक्षिक सत्र 2010-2011 हेतु दिनांक 01.07.2010 से एक वर्ष के लिए सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान कर दी है -

1. संस्था निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र बी में इंगित समस्त कमियाँ एवं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के पत्र संख्या-34(41)/2010-मेड, दिनांक 13.07.2009 में वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा तथा कार्यपरिषद की स्वीकृति प्राप्त कर लेंगे।
2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उपग्र० को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एम०सी०आई० रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एन०एच०-24, अनवरपुर, पिलखुवा, हापुड गाजियाबाद को स्नातक स्तर पर चिकित्सा संकाय के अंतर्गत स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ शैक्षिक सत्र 2010-2011 हेतु दिनांक 01.07.2010 से एक वर्ष के लिए सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूध्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

प्रतिलिपि 28/11/10

कुलसचिव

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, फर्मेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव



सचिव,
सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज,
हापुड़, गाजियाबाद
महोदय,

पत्रांक : सम्बद्धता/6056
दिनांक : 6.2.2012

अनुसचिव, चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-3150/71-2-11-एन-107/06, दिनांक 23.09.2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) के अधीन सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हापुड़ गाजियाबाद को स्नातक स्तर पर चिकित्सा संकाय के अंतर्गत स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र 2011-2012 हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

1. संस्था भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के पत्र संख्या-41/2011-मेड/19467 दिनांक 25.06.2011 में वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा।
2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उपग्रं को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एमबीबीएस रेग्युलेशन के अन्तर्गत निर्धारित पठन-दिनस के उपरान्त ही करायी जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हापुड़ गाजियाबाद को स्नातक स्तर पर चिकित्सा संकाय के अंतर्गत स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन एमबीबीएस पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र 2011-2012 हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)
कृत कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
3. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी घरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, स्टोर, चौधरी घरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी घरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
7. गार्क फाइल हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)
कृत कुलसचिव

शिवराम त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 27 दिसम्बर, 2012

विषय:-सरस्वती इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, एन०एच०-24, अनवरपुर, पिलखुवा, हापुड़ गाजियाबा
को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम (100 सीट हेतु) में शैक्षि
सत्र 2012-13 हेतु दिनांक 01-7-2012 से सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-सम्बद्धता/2642, दिनांक 08.11.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का
निदेश हुआ है कि उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत
उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-37 (2) के अधीन सरस्वती इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल
साइंसेज, हापुड़ गाजियाबाद को स्नातक स्तर पर चिकित्सा संकाय के अंतर्गत एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में
100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षि
सत्र 2012-13 हेतु (दिनांक 01-7-2012 से) सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. संस्था निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित समस्त कमियों एवं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के पत्र
संख्या-34 (41)/2012-मेड/111652, दिनांक 15-06-2012 में वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा तथा
कार्यपरिषद की स्वीकृति प्राप्त कर लेगा।
2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की धनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के
माध्यम/विधि के सम्बंध में शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की
सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा
इस सम्बंध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एम०सी०आई० रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन
दिवस के उपरांत ही करायी जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बंधित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं
सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(शिवराम त्रिपाठी)
अनु सचिव

संख्या-4049 (1)/71-2-12-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप सचिव, बोर्ड आफ गवर्नर्स इन सुपर सेशन आफ मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, पॉकेट-14,
सेक्टर-8, द्वारका फेस-1, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, सरस्वती इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, हापुड़ गाजियाबाद।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
12/12
(शिवराम त्रिपाठी)
अनु सचिव



सम्बद्धता आदेश

पत्रांक : सम्बद्धता/12831
दिनांक : 25.6.2014

शासन के पत्र संख्या-4305(1)/71-2-13-एन-107/06, दिनांक 03.01.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एन0एच0-24, अनवरपुर, पिलखुवा, हापुड़ (गाजियाबाद) को स्नातक स्तर पर संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2013-14 (दिनांक 01.07.2013) से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. संस्था भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के पत्र संख्या-एम0सी0आई0-34(41)/2013-एम0ई0डी0/29046, दिनांक 23.08.2013 में वर्णित शर्तों को पूर्ण कर लेगा।
2. संस्था शासन द्वारा निर्धारित फीस की घनराशि ही छात्रों से लेगी तथा मेडिकल कालेज में प्रवेश के माध्यम/विधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 को प्रवेशित अभ्यर्थियों एवं रिक्तियों की सूचना नियमानुसार उनके द्वारा निर्धारित समय के अन्दर उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत होने वाले शासनादेशों का पालन करेगी।
4. संस्था द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा एम0सी0आई0 रेग्युलेशन के आधार पर निर्धारित पठन दिवस के उपरान्त ही करायी जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

शासन द्वारा प्रदत्त प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एन0एच0-24, अनवरपुर, पिलखुवा, हापुड़ (गाजियाबाद) को स्नातक स्तर पर संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2013-14 (दिनांक 01.07.2013) से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
 2. सचिव, सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एन0एच0-24, अनवरपुर, पिलखुवा, हापुड़ (गाजियाबाद)।
 3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
 4. प्रभारी, कर्मचारी सैल, चौधरी धरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
 5. प्रभारी, स्टॉर, चौधरी धरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
 6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी धरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर हालने का कष्ट करें।
गार्ड फाइल हेतु।

भवदीय,

कुलसचिव

सहा० कुलसचिव (सम्बद्धता)